न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

225RTA2023-072(GCMS2023-154)

1. अमीया देवी पत्नी कबीराराम
2. तारूराम पुत्र कबीराराम
3. पेमाराम पुत्र कबीराराम
4. मोहनराम पुत्र कबीराराम
5. हुकमाराम पुत्र कबीराराम
6. खींयाराम पुत्र बाबूराम
7. गेरोदेवी पुत्री रूगाराम
8. गोमदराम पुत्र रूगाराम
9. जगदीश पुत्र रूगाराम
10. दुडाराम पुत्र रूगाराम
11. देवाराम पुत्र रूगाराम
12. धुनीदेवी पुत्री रूगाराम
13. नेनुदेवी पुत्री रूगाराम
14. प्रहलादराम पुत्र रूगाराम
15. मोटाराम पुत्र रूगाराम
16. श्रवणराम पुत्र रूगाराम
17. सुमेराराम पुत्र रूगाराम
18. झमूदेवी पत्नी किशनाराम
19. पेकरराम पुत्र किशनाराम
20. भेराराम पुत्र किशनाराम
21. भोजाराम पुत्र किशनाराम
22. सम्पता पुत्री किशनाराम
23. सविता पुत्री किशनाराम

सभी जाति मेघवाल,
निवासी ग्राम सुवेरी सांसण, निम्बों का गांव
तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. तेजाराम पुत्र नारायणराम
2. इमरताराम पुत्र नारायणराम
3. शिवाराम पुत्र नारायणराम
4. घमण्डाराम पुत्र नारायणराम
5. गेनाराम गोदपुत्र गोरखाराम
6. शंकरराम पुत्र केवलराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

7. अर्जुनराम पुत्र केवलराम
8. रतनाराम पुत्र केवलराम
9. राजूराम पुत्र केवलराम
10. सोगाराम उर्फ छोगाराम पुत्र केवलराम
    सभी जाति मेघवाल, निवासी भूडता वाली ढाणीया, सुवेरी सांसण, निम्बों का गांव, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर
11. राजस्थान सरकार
    जरिये तहसीलदार बालेसर
    जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर दिनांक 20 दिसम्बर 2022 प्रकरण संख्या /2022 अनवान तेजाराम व अन्य बनाम अमीया आदि

उपस्थित-

श्री भीमाराम मुडिया, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 10
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 11

नि र्ण य

दिनांक : 26 नवम्बर 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर द्वारा प्रकरण संख्या /2022 तेजाराम व अन्य बनाम अमीया आदि में पारित आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2022 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 10 अप्रेल 2023 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 10 द्वारा ग्राम सुवेरीसांसण तहसील बालेसर स्थित आराजी खसरा संख्या 26 रकबा 9.4292 हैक्टेयर व खसरा संख्या 30 रकबा 3.8769 बारानी चारम बाबत प्रस्तुत वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त भूमि बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत किया, जो दिनांक 20 दिसम्बर 2022 को विचारण न्यायालय द्वारा संस्थित किया जाकर इकतरफा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वक्त सेटलमेण्ट के पूर्व से वादग्रस्त भूमि कबीरा के कब्जे काश्त की भूमि रही है और वक्त सेटलमेण्ट वादग्रस्त भूमि का पर्चा लगान भी कबीरा के नाम से ही जारी किया गया, खतौनी बंदोबस्त में भी कबीरा का कब्जा काश्त दर्शाया गया है। रेस्पो. अथवा उनके पूर्वजों का वादग्रस्त आराजियात पर कभी कोई कब्जा काश्त व हक हकूक नहीं रहा है। आसू व सालू पिसरान भूरा परस्पर सगे भाई थे और वक्त सेटलमेण्ट के पूर्व से ही दोनों का अलग-अलग भूमियों पर कब्जा काश्त था, उनके देहान्त के बाद उनके वारिसान अलग-अलग भूमियों पर काबिज काश्त हुए, वक्त सेटलमेण्ट कब्जा काश्त अनुसार ही खसरा संख्या 26 व 30 की भूमि कबीरा वल्द आसु के नाम दर्ज हुई और खसरा संख्या 16, 19, 54 व 100 की भूमि गोरधो, केवलियो, नारायणीयो पिसरान सालू के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद की गयी। इसके बावजूद भी अपीलाण्ट्स को हैरान-परेशान करने एवं उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पर सरकारी योजनान्तर्गत कराये जा रहे निर्माण/तारबंदी कार्य में बाधा उत्पन्न करने की नीयत से प्रार्थीगण-रेस्पो. द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही की गयी है और तथ्यों को छुपाते हुए दावा व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर इकतरफा अपीलाधीन अंतरिम आदेश पारित कराया गया है। जिसकी अपीलाण्ट्स को अपने कब्जे काश्त की भूमि पर निर्माण कार्य कराने के दौरान रेस्पो. द्वारा अपीलाधीन आदेश का हवाला देकर निर्माण कार्य में विघ्न डालने पर हुई, तब विचारण न्यायालय से अपीलाधीन आदेश की नकल दिनांक 29 मार्च 2023 को प्राप्त कर आलौच्य अपील पेश की गयी है, जो अन्दर मियादशुमार करते हुए स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के खिलाफ आलौच्य अपील निर्धारित समय सीमा व्यतीत होने के बाद विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है और विलम्ब के कोई संतोषजनक एवं विश्वसनीय कारण भी नहीं दर्शाये गये है। मियाद प्रार्थनापत्र में अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने का कोई निश्चित समयबिन्दु भी प्रकट नहीं किया गया है। अपीलाण्ट्स के दादा आसू एवं रेस्पो. के पूर्वज एक ही पिता भूरा की संतान थे और हिन्दू संयुक्त परिवार के रूप में सामलाती रहते थे। आसू एवं सालू के देहान्त के बाद कबीरा परिवार के वरिष्ठ सदस्य एवं कर्ता खानदान होने से वादग्रस्त आराजियात उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई, मगर मौके पर सभी का सामलाती कब्जा काश्त रहा। मिसल बंदोबस्त संवत 2014 से 2017 में कबीरा का नाम है व खसरा गिरदावरी संवत 2014 में वादग्रस्त भूमि बाबत कबीरा के साथ-साथ काश्त में सालू के वारिसान गोरख, केवलिया, नारायण पिसरान सालू के नाम भी दर्ज है। इस प्रकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीगण-रेस्पो. के स्वत्व एवं पुश्तैनी अधिकार निहित होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण रेस्पो. के पक्ष में है। वादग्रस्त आराजियात अथवा उसके किसी भूभाग पर पक्का निर्माण कर दिये जाने की स्थिति में भूमि खुर्दबुर्द होकर उसका कृषि स्वरूप परिवर्तित हो जाने से रेस्पो. को अपूरणीय क्षति एवं गम्भीर असुविधा होगी। इन सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता एवं औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट्स मियादबाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आराजी खसरा संख्या 26 व 30 अभिलेख पर उपलब्ध जमाबंदी (खेवट खतौनी) संवत 2075-2078 ग्राम सुवेरीसांसण की छायाप्रति के अनुसार अपीलाण्ट्स के नाम दर्ज है, और रेस्पो. आदि के नाम खसरा संख्या 16, 19, 54 व 100 दर्ज है। जमाबंदी संवत 2014-17, संवत 2018-21, संवत 2022-25, संवत 2026-29, संवत 2030-33, संवत 2034-37 में उक्त भूमि कबीरा वल्द आसु के नाम दर्ज है। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2014-17, संवत 2018-21, संवत 2022-25, संवत 2026-29, संवत 2030-33, संवत 2034-37 ग्राम सुवेरीसांसण की छायाप्रति के अनुसार गोरखो केवलीया नाराणीयों पिसरान सालू का नाम आराजी खसरा संख्या 16, 19, 54 व 100 बाबत दर्ज है। खसरा गिरदावरी (चतुर्वर्षीय) संवत 2020-23, संवत 2024-27, संवत 2030-33, संवत 2034-37, में खसरा संख्या 16 व 19 बाबत गोरख, केवलीया, नरीया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पिसरान सालू व खसरा संख्या 26 व 30 कबीरा पुत्र आसू की काश्त दर्ज है। जिससे राजस्व रिकार्ड के अनुसार प्रथम दृष्टया आरम्भ से ही अपीलाण्ट्स एवं रेस्पो. व उनके पूर्वजों का नाम अलग-अलग खसरान की भूमियों बाबत दर्ज होना प्रकट होता है, तथापि निर्धारित विधिक प्रकिया के अनुरूप पक्षकारान के स्वत्व एवं अधिकारों को मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई के बाद विनिश्चयन किया जाना है। मगर वर्तमान स्तर पर प्रकरण के तथ्यों एवं राजस्व रिकार्ड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वादग्रस्त भूमि बाबत किसी मनरेगा अथवा प्रधानमन्त्री आवास योजना या अन्य किसी सरकारी योजनान्तर्गत कोई निर्माण कार्य अथवा तारबंदी आदि के कार्य को अपीलाधीन आदेश की आड में बाधित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के संबंध में नरम रूख अपनाते हुए अपील अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार की जाकर आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अपीलाण्ट्स को वादग्रस्त भूमि पर मनरेगा व प्रधानमन्त्री आवास संबंधी योजनाओं व अन्य सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत तारबन्दी आदि कार्य कराये जाने की छूट प्रदान की जाती है। अन्य किसी प्रयोजनार्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2022 का यथावत रहेगा। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान की सुनवाई कर आगामी दो माह की अवधि में मूल स्थगन प्रार्थनपत्र का विधिसम्मतः निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर